न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–लक्ष्मण

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 46/2012

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

बनाम

1. मुमताज खातुन पत्नि दिलावर खां, जाति पठान निवासी ईस्लामपुर तहसील व जि (मृतक)।

1 (1) मो0 आरीफ खान पि0 तालीब मो0 खान, जाति पठान निवासी ईस्लामपुर जिला झुंझुनूं।

1 (2) मो0 यासीन खां पि0 तालीब मो0 खान, जाति पठान निवासी ईस्लामपुर जिला झुंझुनूं (मृतक)।

1 (3) मो0 उसमान खां पि0 तालीब मो0 खान, जाति पठान निवासी ईस्लामपुर जिला झुंझुनूं (मृतक)।

1 (4) फरहत पत्नी श्री बशीर मोहम्मद जाति पठान निवासी ईस्लामपुर तहसी झुंझुनूं।

—— अप्रार्थ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान अधिनियम 1956

---

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री तैयुब हुसैन, एडवोकेट–अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल माख जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 139 के अनुसा मे स्थित भूमि ख0न0 347, 348, 349 किता 3 रकबा 2.53 है0 किस्म चाही तृतीय मुमताज खातुन पत्नि दिलावर खां जाति पठान निवासी ईस्लामपुर तहसील व जि नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:–

क्र. सं.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक व विवरण
1.	2013–16	360	274बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक
2.	2017–20	360	274बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक
3.	2021–24	360	274बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:10 IST
Reason: SelfAttested

4.	2025–41	360	10 बीघा	बारानी सोयम	मदनलाल, राजेन्द्र प्रसाद चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी माखर
5.	2042–59	360	10 बीघा	बारानी सोयम	मुमताज खातुन पत्नि दिलावर खां जाति पठान निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुझुनू
6.	2060–69	347 348 349	0.01 1.25 1.27	कुआ चाही तृतीय	मुमताज खातुन पत्नि दिलावर खां जाति पठान निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुझुनू

उक्त वर्णित भूमि गै0मु0 नदी तथा प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण खातेदारी दी जानी उ नही है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भू संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण तथा आज तक की गई पि की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अ अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खा से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज की जानी आवश्यक हो गई है। सार्वजनिक उ की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचि है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में खातेदार अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तहफी होगी, अपूर्तनीय क्षति आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदगिया हो जावेगी। अतः निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर भूमि ख0न0 347, 348, 349 किता 3 रकबा 2.53 है0 किस्म चाही तृतीय की र अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदा की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित ह दिलाने की कृपा करे।

2. बहस सुनीं गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत कि ग्राम माखर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 347, 348, 349 किता 3 रकबा 2.53 है मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2013 से 2024 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रक बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी ... गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम संवत् 2025 से 2041 मे उक्त भूमि की खातेदा... ...रीके से दर्ज कर दी जो पल है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीका... ...का किसी भी व कोई कानूनी अधिकार नही है। ... किया जाकर अनावेदक के हटाया जाकर पुनः गै0मु0 नदी ... हेतु रेफरेन्स माननीय राजर अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय अधिवक्ता के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया मे रेफरेन्स की कार्यवाही नही की जा सकती है। पटवारी रिपोर्ट मे अप्रार्थी का कब्जा खातेदारी मानी गई है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0नदी से बारानी सोयम हो विवादित भूमि के मौके पर कुआ बना हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:10 IST
Reason: SelfAttested

जा रही है। संवत् 2025 से विवादित भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जमीन मदन को आंवटित हुई थी। मदन से अप्रार्थी ने सन् 1978 मे कय की है। अतः यह रेरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम म सरहद मे स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 347, 348, 349 किता 3 रकबा 2.53 हैक्ट पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीघा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खा मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। चूंकि अप्रार्थी ने मूल आंवटी से विवादित भूमि कय की है ए के समय विवादित भूमि प्रतिबन्धित थी या नही यह स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में हम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित नही समझते हैं। अतः यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि प्रकरण मे यह जांच कर कि क्या अप्रार्थी ने विवादित भूमि मूल आंवट की है या नही एवं क्या मूल आंवटी अप्रार्थी को उक्त विवादित भूमि विकय कर सक नही? भूमि अलोटमेन्ट के समय भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि थी या नही? की जांच गुणावगुण के आधार पर जांच कर यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पु प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कु
जिला कलक्टर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:10 IST
Reason: SelfAttested